



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240833
CG-DL-E-06122022-240833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5438]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्राहायण 14, 1944

No. 5438]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5670(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में चंद्रगिरी - तिरुपति रेलवे सेक्शन के बीच में एल.सी. संख्या 102 के स्थान पर अनन्तपुरम - चेन्नई रोड के किमी 281/200 पर आरओबी के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-205 मौजूदा का उन्नयन चार लेन में हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉयंट कलेक्टर, तिरुपति	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205 के कि.मी. 280 से 283 तक	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति ग्रामीण तिरुपति अर्बन	1 पेरुर 1 तिरुपति

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(10)/16-S&R(B)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5670(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of 4 lane ROB at Km 281/200 of Ananthapur to Chennai Road NH-205 in lieu of L.C 102 between Chandragiri and Tirupati west stations in the district of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 205 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR , TIRUPATI ()	280KM To 283KM	ANDHRA PRADESH	Tirupati	Tirupati Rural Tirupati Urban	1 Perur 1 Tirupati

[F. No. RW/NH-12014/AP(10)/16-S&R(B)]

RAJESH GUPTA, Director